न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 179 / 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024 / 282

प्रार्थी बनाम विप्रार्थीगण

आलम मुंढ पुत्र ताजाराम
जाति जाट
निवासी मुकसर बोर चारणान
तहसील धोरीमन्ना व जिला बाड़मेर

1.महेन्द्र सिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत
निवासी घड़सी का बाड़ा
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
2.प्रशान्त चौधरी पुत्र गिरधारीराम
जाति,जाट निवासी जी-118,शास्त्रीनगर
जोधपुर
3..कानसिंह पुत्र मगसिंह
4.किशोरसिंह पुत्र शिवसिंह
5.खुशालसिंह पुत्र शिवसिंह
6.गीतादेवी पुत्री शिवसिंह
7.छगनसिंह पुत्र शिवसिंह
8.धनसिंह पुत्र मगसिंह
9 .बाबूसिंह पुत्र शिवसिंह
10.भूरसिंह पुत्र मगसिंह
11.भंवरी देवी पत्नी शिवसिंह
12.भीमसिंह पुत्र मगसिंह
13.मंगलसिंह पुत्र शिवसिंह
14.मोहनसिंह पुत्र शिवसिंह
15.शंकरसिंह पुत्र पनेसिंह
16.ओमा पुत्री हड़मानसिंह
17.गुमानसिंह पुत्र किस्तुरसिंह
18.दिलीपसिंह पुत्र .हड़मानसिंह जरिए संरक्षक माता मांगीदेवी पत्नी हड़मानसिंह
19.पुखराजसिंह पुत्र हड़मानसिंह
20.पपुकंवर पुत्री किस्तुरसिंह
21.भागीरथसिंह पुत्र भंवरसिंह
22.ममता पुत्री हड़मानसिंह
23.मांगी पत्नी हड़मानसिंह
24.मानसिंह पुत्र हीरसिंह

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

25.रेखा पुत्री हडमानसिंह

26.रवीना पुत्री हडमानसिंह संरक्षक जरिए कुदरती वली माता मांगीदेवी पत्नी हडमानसिंह

27.शणसिंह पुत्र हीरसिंह

28.विक्रमसिंह पुत्र भंवरसिंह

29.विमलाकंवर पुत्री भंवरसिंह

30.शैतानसिंह पुत्र किस्तुरसिंह

जाति पुरोहित निवासी पटाउ खुर्द तहसिल कल्याणपुर जिला बालोतरा

31.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1.श्री रूगाराम कड़वासरा अधिवक्ता प्रार्थी

2.विप्रार्थी एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 28/01/2025

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम पटाऊ खुर्द पटवार हल्का पटाऊ कलां तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 532/360 क्षेत्रफल 0.2656 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थी द्वारा ग्राम पटाऊ खुर्द पटवार हल्का पटाऊ कलां तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 532/360 क्षेत्रफल 0.2656 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश पटेल द्वारा दिनांक 07.10.2024 को वकालतनामा पेश किया गया था। उक्त विप्रार्थी को जवाब पेश किए जाने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं किए जाने पर जवाब बंद किया गया तथा नियत पेशी पर उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

लाई गई। शेष विप्रार्थी को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध भी एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम पटाऊ खुर्द पटवार हल्का पटाऊ कलां तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 532/360 क्षेत्रफल 0.2656 भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम पटाऊ खुर्द पटवार हल्का पटाऊ कलां तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 532/360 क्षेत्रफल 0.2656 हैक्टयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश किया जावें।

4.हमनें प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम पटाऊ खुर्द पटवार हल्का पटाऊ कलां तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 532/360 क्षेत्रफल 0.2656 हैक्टयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–धारा 128 सीमा विवाद–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 20.5.2024 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं को लेकर विवाद है,ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में निहित प्रावधानो के तहत हस्तगत प्रकरण का निस्तारण न्यायालय हाजा से ही किया जाना है। प्रार्थी अधिवक्ता अपने आवेदन पत्र को बखूबी साबित करने में सफल रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

6.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवानें का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन-पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम पटाऊ खुर्द पटवार हल्का पटाऊ कलां तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 532/360 क्षेत्रफल 0.2656 हैक्टयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए. नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार कल्याणपुर को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 28/01/2025 लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

28/01/2025
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा